दि0 03-10-2017 को Video Conferencing से की गई मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनॉक 03-10-2017 को अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन की अपेक्षानुसार कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोन के एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) / (कारपोरेट सर्किल)/(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर के साथ **Video Conferencing** की गई, जिसमें जोनल/ सम्भागीय एवं मण्डल स्तरीय अधिकारी भी अपने जनपद मुख्यालय के एन0आई0सी0 केन्द्र पर उपस्थित रहे।

अवगत कराया गया कि **मा0 प्रधानमन्त्री जी द्वारा दिनांक 27-09-2017 को PRAGATI समीक्षा के दौरान** वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) के अन्तर्गत व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने में आ रही कठिनाइयों का निराकारण करने हेतु तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाये, उनकी सहायता की जाये तथा उन्हें तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाये। यह भी कहा है कि यद्यापि रु0 20 लाख की सीमा तक व्यापार करने वाले व्यक्तियों पर जी0एस0टी0 प्रभार्य नहीं है किन्तु उन्हें जी0एस0टी0 से जोड़ा जाना आवश्यक है ताकि उनको व्यापार में सुविधा हो। जिला स्तर पर व्यापार मण्डलों के साथ बैठकें आयोजित कर व्यापारियों की समस्यों का समाधान किया जाये। अत: जिला स्तर पर व्यापार बन्धु की बैठक का आयोजन कराकर समस्याओं के त्वरित समाधान करायें जायें। विभाग के हेल्पडेस्क पर व्यापारियों को तकनीकी समस्याओं का तुरन्त निदान कराया जाये। छोटे व्यापारियों को विभागीय कार्यालय में बैठाकर इण्टरनेट की सुविधा प्रदान करते हुए रिटर्न फाईल करायें जाये। प्रत्येक अधिकारी अपने अधिक्षेत्र के न्यूनतम 100 व्यापारी से सम्पर्क करके अगस्त व आगे के माहों के जी0एस0टी0आर0-3बी दाखिल करने में आ रही समस्याओ का निदान कराकर दाखिल करायेगें और प्रतिदिन की प्रगति निम्न प्रारुप में जी0एस0टी0/आई0टी0 अनुभाग के पूर्व सूचित ई-मेल या upct_stat@rediffmail.com पर प्रेषित करेगें।

जोन का नाम **दिनांक**

खण्ड का नाम	अधिकारी का नाम / पदनाम	सम्पर्क किये गये व्यापारी / फर्म का नाम	मोबाइल न0 / जी0एस0टी0न0	सूचित समस्या व किये गये निदान का संक्षिप्त

सम्यक् समीक्षोपरान्त निम्न निर्देश दिये गये:-

1. माह जुलाई का शत-प्रतिशत व्यापारियों के द्वारा जी0एस0टी0आर0-3बी रिटर्न दाखिल कर दिया गया है, उनमें से कतिपय् व्यापारियों के द्वारा माह अगस्त-17 का जी0एस0टी0आर0-3बी दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे व्यापारियों को चिन्हित कर रिटर्न का दाखिला एक सप्ताह में सुनिश्चित कराया जाये। जिस खण्ड में नान फाईलर की संख्या अधिक पाई जाये, सम्बन्धित अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य व प्रयास की समीक्षा की जाये। खण्ड के सभी अधिकारियों डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेण्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्यों का विवरण डेली डायरी में अंकित किया जाये, जिसे सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) द्वारा सप्ताह में एक दिन नियत करके हस्ताक्षरित किया जाये। खण्ड के सभी अधिकारी अपने व्यापारियों के रिटर्न दाखिला में हरसम्भव तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे, यहॉ तक कि जिन छोटे व्यापारियों को रिटर्न दाखिला में समस्या आ रही है, उनका रिटर्न अपने स्तर से विभाग के हेल्प डेस्क पर बुलाकर दाखिला सुनिश्चित करायेंगे।

   (कार्य0 एडी0 कमि0 व ज्वा0 कमि0 (कार्य0/कार0)अनु0 ज्वा0कमि0(आई0टी0)/(निरीक्षण) व नोडल अधि0 जोन्स मु0)

2. जिला स्तर व मण्डल स्तर पर व्यापारी बन्धुओं की बैठक दि0 06 अक्टूबर-17 तक करा ली जाये तथा बैठक का कार्यवृत्त एवं जोनवार हुई बैठक की सूचना मुख्यालय भिजवाया जाये। दि0 05 अक्टूबर-17 को ऐसी सभी बैठकों में आई समस्याओं का सकलित विवरण मुख्यालय प्रेषित किया जाये।

   (कार्य0 एडी0 कमि0 व ज्वा0 कमि0 (कार्य0/कार0)अनु0 ज्वा0कमि0(विधि)/(जी0एस0टी0) व नोडल अधि0 जोन्स मु0)

3. व्यापारी सुविधा केन्द्र पर प्रत्येक स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाये। व्यापारी की सभी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाये तथा यथावश्यक उन्हें रिटर्न दाखिला व अन्य कार्य के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाये। व्यापारियों

को मुख्यालय के किसी भी अधिकारी का मोबाईल नम्बर न दिया जाये और यदि आवश्यक हो तो अधिकारी स्वयं मुख्यालय के सक्षम अधिकारियों से वार्ता करके व्यापारी की समस्या का समाधान करें।

(कार्य0 एडी0 कमि0 व ज्वा0 कमि0 (कार्य0/कार0)अनु0 ज्वा0कमि0(आई0टी0)/(निरीक्षण) व नोडल अधि0 जोन्स मु0)

4. प्रत्येक सम्भागीय कार्यालय में सभी अधिकारियों की प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को दो घण्टे की विधिक व तकनीकी विषयक पर परिचर्चा बैठक आयोजित कराई जाये, जिसमें अधिकारियों के द्वारा सप्ताह भर में आई समस्याओं के समाधान निकाला जाये। किसी विषय पर समाधान न प्राप्त होने पर मुख्यालय के सक्षम अधिकारी से वार्ता की जाये।

(कार्य0 एडी0 कमि0 व ज्वा0 कमि0 (कार्य0/कार0)अनु0 ज्वा0कमि0(आई0टी0)/(जी0एस0टी0) व नोडल अधि0 जोन्स मु0)

5. रु01.50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर के व्यापारियों की यथावश्यक वि0अनु0शा0 जॉच जोनल एडीशनल कमिश्नर तथा रु0 1.50 करोड़ से कम एवं रु0 50 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर के व्यापारियों की जॉच एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) की लिखित अनुंमति से ही कराई जाये।

(कार्य0 एडी0 कमि0/एडी0 कमि0 ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वा0 कमि0 (वि0अनु0शा0)अनु0 सम्बन्धित ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0)

6. आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत प्रवर्तन कार्य के सम्बन्ध में जारी परिपत्र संख्या-1718041 दि0 27-09-17 तथा बिलों के संग्रहीत किये जाने हेतु जारी पत्र संख्या-156 दि0 22-09-17 पर सम्यक् कार्यवाही जोन्स में प्रभावी रुप से प्रचलित करायें।

(कार्य0 एडी0 कमि0/एडी0 कमि0 ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वा0 कमि0 (वि0अनु0शा0)अनु0 सम्बन्धित ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0)

7. जोन्स गोरखपुर, फैजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, इलाहाबाद व वाराणसी द्वितीय में नान फाईलर की संख्या बढ़ी है। इस सम्बन्ध में जारी पत्र संख्या-1094 दि0 28-09-17 के अनुसार ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) द्वारा खण्डवार मॉनीटरिंग की जाये। जोन गोरखपुर के जिन खण्डों में नान फाईलर की संख्या अधिक हो, उनके अधिकारियों का नाम दि0 04-10-17 तक प्रेषित किया जाये, ताकि उनकी दो दिन का प्रशिक्षण लगाया जा सके।

(कार्य0 एडी0 कमि0 व ज्वा0 कमि0 (कार्य0/कार0)अनु0 ज्वा0कमि0(आई0टी0)/(निरीक्षण) व नोडल अधि0 जोन्स मु0)

माह अक्टूबर-17 के मासिक लक्ष्य रु0 5203.21 करोड़ की प्राप्ति तथा माह अगस्त व सितम्बर-17 के जी0एस0टी0आर0-3बी का शत-प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित करने की अपेक्षा व विश्वास और **दीवाली की शुभकामनाओं** के साथ सधन्यवाद Video Conferencing समाप्त की गई।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या:एस0एस0-मुख्यालय मासिक बैठक--17-18/ 507 / वा0 कर (संख्या अनुभाग) लखनऊ :: दिनांक:: 04/10/ ,2017

- अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 को अवलोकनार्थ।
- जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 व ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वा0 कमिश्नर (कार्य0)/(कारपो0)/ (वि0अनु0शा0) वाणि0 कर।
- एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश एवं सभी ज्वा0कमि0/ एस0एस0ओ0-1/2 वा0कर, मुख्यालय।

(मनोज कुमार तिवारी)
ज्वाइंट डायरेक्टर (संख्या) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।